रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 1985/माघ 9, 1906
No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 1985/MAGHA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1985

सा. का. नि. 50(अ) :—भारत के वनस्पति तेल-उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखंड (1) और खंड 4क के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व

नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सा. का. नि. सं. 717(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, सारणी में, मद 1 के परन्तुक में स्तम्भ (1) में,

"95 प्रतिशत (पिच्यानवे प्रतिशत)" अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "85 प्रतिशत (पचासी प्रतिशत)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 26 दिसम्बर, 1980 में सा.का.नि. सं. 717(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

(1) आदेश सं. 505(अ), तारीख 2-9-1981
(2) आदेश सं. 568(अ), तारीख 30-10-1981
(3) आदेश सं. 80(अ), तारीख 25-2-1982
(4) आदेश सं. 247(अ), तारीख 12-3-1982
(5) आदेश सं. 524(अ), तारीख 17-8-1982
(6) आदेश सं. 569(अ), तारीख 13-9-1982
(7) आदेश सं. 278(अ), तारीख 22-3-1983
(8) आदेश सं. 481(अ), तारीख 10-6-1983
(9) आदेश सं. 588(अ), तारीख 1-8-1983
(10) आदेश सं. 692(अ), तारीख 9-9-1983
(11) आदेश सं. 927(अ), तारीख 29-12-1983
(12) आदेश सं. 672(अ), तारीख 19-9-1984

[सं. 9-वी.पो. (5)/81]

एस. बी. एम. त्रिपाठी, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1985

G.S.R. 50(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the

Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Civil Supplies No. GSR 717(E), dated the 26th December, 1980, namely :—

In the said Order, in the Table in the proviso to item 1, in column (1), for the figures, brackets and words "95 per cent (ninety five per cent)", the figures, brackets and words "85 per cent (eighty five per cent)" shall be substituted.

Note : Principal Order published vide GSR No. 717(E), dated the 26th December, 1980, Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th December, 1980 subsequently amended by :—

(i) Order No. 505(E) dated 2-9-1981.
(ii) Order No. 568(E) dated 30-10-1981.
(iii) Order No. 80(E) dated 25-2-1982.
(iv) Order No. 247(E) dated 12-3-1982.
(v) Order No. 524(S) dated 17-8-1982.
(vi) Order No. 569(E) dated 13-9-1982.
(vii) Order No. 278(E) dated 22-3-1983.
(viii) Order No. 481(E) dated 10-6-1983.
(ix) Order 588(E) dated 1-8-1983.
(x) Order No. 692(E) dated 9-9-1983.
(xi) Order No. 927(E) dated 29-12-1983.
(xii) Order No. 672(E) dated 19-9-1984.

[No. 9-VP(5)|81]

S. V. M. TRIPATHI, Vegetable Oil Products Controller for India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985